पत्रांक 4964/आयु0कर उत्तरा0/वाणिज्य कर/प्रवर्तन–अनु0/2012–13/दे0दून

कार्यालय–आयुक्तकर, उत्तराखण्ड

(प्रवर्तन–अनुभाग)

देहरादून ::दिनांक:: 26 फरवरी, 2012

—:: परिपत्र ::—

मुख्यालय की विज्ञप्ति सख्या 4421/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/12–13/वाणिज्य कर/दे0दून, दिनांक 23–01–2013 द्वारा आयात के लिए घोषणा पत्र (प्ररूप–16) सीरीज U.K. VAT-K2010 को दिनांक 20–02–2013 तक प्रचलन में बने रहने एवं दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि तक जांच चौकियों में स्वीकार किये जाने तथा उक्त के उपरान्त प्रचलन में अवैध माने जाने हेतु जारी की गयी।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 4730/आयु0क0उत्तरा0/वा0क0/प्रवर्तन–अनु0/2012–13/दे0दून, दिनांक 08–02–2013 द्वारा वाहन/माल को राज्य की सीमाओं पर स्थित वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियों के साथ–साथ ट्रिपशीट के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन घोषणा करने की स्वैच्छिक व्यवस्था का विकल्प दिनांक 10–02–2013 से दिनांक 28–02–2013 तक प्रभावी रहने की व्यवस्था भी लागू की गयी, जिसमें आयातक/परिवहनकर्ता को विभागीय वेबसाइट से ऑनलाईन जेनरेटेड ट्रिपशीट की दो प्रतियाँ, फार्म–16/17, बिल, बिल्टी एवं माल से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज के साथ राज्य की सीमा पर स्थित जांच चौकी पर प्रस्तुत करने के प्राविधान किये गये।

दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि के उपरान्त कोई आयात के लिए घोषणा पत्र (प्ररूप–16) सीरीज U.K. VAT-K2010 ट्रिपशीट एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सहित जांच चौकी पर प्रस्तुत होता है, यदि उक्त आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–16) से सम्बन्धित ट्रिपशीट दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से पूर्व बनायी गयी हो तो इस प्रकार के प्रस्तुत होने वाले ट्रिपशीट एवं प्ररूप–16 (फार्म–16) से सम्बन्धित वाहन को मात्र इस आधार पर न रोका जाये कि उक्त ट्रिपशीट के साथ संलग्न फार्म–16 का प्रचलन अवैध घोषित किया जा चुका है।

(सौजन्या)
आयुक्तकर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4964/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

3– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

क्रमशः पेज–2

4– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेसन/उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून/वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

7– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

8– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

9– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

10– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।

11– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।